कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश
बेबसाईट—www.medicaleducation.mp.gov.in

मध्यप्रदेश शासन

खण्ड—क, छटवी मंजिल
सतपुडा भवन भोपाल
दूरभाष कमांक—0755-0551719
फेक्स कमांक— 0755-2578844
ई—मेल— dme12001@yahoo.com

// नियम एवं शर्ते //

1. आवेदनकर्ता फर्म/संस्था का पंजीयन होना अनिवार्य है।
2. शासकीय संस्थान मे कार्य का कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिये ।
3. संचालनालय चिकित्सा शिक्षा कार्यालय मे कम से कम 20 सी पी एम की फोटो कापीयर मशीन मय आपरेटर की सेवाए सुबह 10.00 बजे से कार्यालयीन समय पश्चात आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराना होगा ।
4. फोटो कापी कार्य के लिये आवश्यक फोटो कापी पेपर टोनर एवं अन्य सामग्री की व्यवस्था निविदाकर्ता को करना होगी ।
5. मशीन जनवरी 2017 से पूर्व की कय नही होना चाहिये । संस्था को कय आदेश की प्रति संलग्न करना होगी ।
6. फोटो कापी कार्य के लिये केवल मशीन रखने का स्थान एवं बिजली की व्यवस्था कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी ।
7. मशीन स्थापित करने के लिये स्थान, बिजली की व्यवस्था तथा प्रतिकापी की दर पर भुगतान करने के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के व्यय की प्रतिपूर्ति कार्यालय द्वारा नही की जावेगी ।
8. फर्म को उसकी निविदा स्वीकृत होने के पश्चात रू 20000/— (बीस हजार मात्र) की धरोहर राशि संचालक चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश के नाम से एक वर्ष की एफडीआर के रूप मे जमा कराना होगी ।
9. फर्म को जिस दिन से कार्य करने हेतु आदेशित किया जावेगा उस अवधि मे यदि मशीन खराब होती है और अति आवश्यक कार्य बाजार से कराना पडता है तो उस कार्य पर हुए व्यय को निविदाकर्ता के उस माह के बिल से काट लिया जावेगा ।
10. अनुबंध अवधि मे किसी कारण से कार्य बंद कर दिया जाता है अथ्वा अनुबंध की शर्तो का उल्लंघंन पाया जाता है तो उसकी धरोहर राशि रू 20000/— (रू बीस हजार मात्र) राजसात कर शासकीय खाते जमा करा दी जावेगी ।
11. दरो की स्वीकृति/अस्वीकृति का पूर्ण अधिकार आयुक्त चिकित्सा शिक्षा के पास सुरक्षित रहेगा एवं आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा जिसे फर्म को मान्य करना होगा
12. फोटो कापी के साथ साथ संबंधित अभिलेखो के सेट तैयार करने की जिम्मेदारी फोटो कापी आपरेटर की होगी ।
13. कय समिति के समक्ष दरों का प्रस्ताव खोला जावेगा तथा जिस फर्म की फोटो कापी प्रति नग की दर सबसे कम होगी उसी फर्म की दरे मान्य की जावेगी ।
14. फर्म द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्ताव बंद लिफाफे मे सील चपडी के साथ प्रस्तुत होना अनिवार्य है ।
15. प्रस्ताव की दरे मान्य होने पर कार्य आदेश जारी होने के दिनांक से निविदा दो वर्ष तक के लिये प्रभावशील रहेगी । जिसे समान दरों/शर्तो पर आपसी सहमति से 1 वर्ष के लिये बढाया जा सकेगा ।

16. फर्म का कार्य संतोष जनक नही पाये जाने की स्थिति मे अनुबंध बिना किसी सूचना के समाप्त करने का अधिकार आयुक्त चिकित्सा शिक्षा को होगा ।

17. समस्त प्रकार के टेक्स/शासकीय देयताए व शासकीय आवश्यक अनुमतियां संस्था द्वारा वहन/प्राप्त की जावेगी ।

18. आपरेटर का पूर्ण विवरण मय फोटो सहित संस्थाना को उपलब्ध कराना होगा व घोषणा पत्र देना होगा कि आपरेटर के विरूद्ध कोई अपराधिक प्रकरण/पुलिस मे प्रकरण दर्ज नही है ।

19. आपरेटर के अवकाश/अनुपस्थिति मे वैकल्पिक व्यवस्था संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी ।

20. मीटर रीडिंग का सत्यापन स्टोर प्रभारी द्वारा किये जाने पर ही देयक पारित किया जावेगा ।

21. शासकीय अभिलेखो की गोपनीयता/सुरक्षा भी संस्था को सुनिश्चित की जावेगी ।

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

40store